न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी – हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस.

मु0 नं0 – 118/2019
प्रकरण दर्ज – 10.10.2019
प्रकरण निस्तारण – 15.1.2020

अनुवानी प्रकरण

अरविन्द कुमार पुत्र श्री धन्नालाल बैरवा निवासी सी 223, महेश नगर ज़यपुर हाल कृषक ग्राम कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा (राज0)।

– वादी

बनाम

1. मोती पुत्र मूल्या जाति बलाई निवासी कालवान तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक –15.1.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 111 रकबा 1.7200 हैक्टेयर वाके रामा कालवान तहसील सिकराय मे स्थित है। उक्त भूमि के सम्बन्ध मे दावा तकास्मा का इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.2019 को वाके रामा कालवान तहसील सिकराय मे स्थित खसरा नंबर 111 रकबा 1.7200 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी भूमि का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमाबन्दी के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। मुताबिक प्राथमिक डिक्री के अनुसार तहसीलदार सिकराय को कुरेजात तैयार करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सिकराय ने उक्त वादग्रस्त आराजी का विभाजन के सम्बन्ध मे अपने पत्रांक भू.अ./2020/99 दिनांक 14.1.2020 द्वारा कुरेजात पेश किये। बटवारा रिपोर्ट पर वकील वादी को सुना गया। बटवारा रिपोर्ट सही होना पाया गया। मुताबिक कुरेजात वकील वादी ने बटवारा दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकील वादी की बहस का मनन किया एवं पत्रावली व कुरेजात का अवलोकन किया। इस प्रकरण मे तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 111/1 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि अरविन्द कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

Scanned by CamScanner

धन्नालाल बैरवा निवासी सी 223, महेश नगर जयपुर सा.देह. खातेदार हिस्सा रहेगा एवं खसरा नंबर 111/2 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि मोती पुत्र मूल्या जाति बलाई निवासी कालवान सा.दे. खातेदार राहिन यूको बैंक मानपुर हिस्सा रहेगा। कुरेजात डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/1/2020

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

हरिराम कुमार आदिवाल
उपखण्ड अधिकारी सिकराय।

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 312402

अंतिम

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अदालत सिविल न्यायाधीश मुकाम [illegible]

इजलास श्री [illegible] कुमार [illegible]

[illegible] बनाम 1- [illegible] दावा बाबत [illegible] @ [illegible] TOR [illegible]

मुकदमा नं. 118/19 सन

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

हाजिरी श्री [illegible] मिनजानिब मुद्दई रूबरू [illegible]

मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

[illegible] के [illegible] 15-1-20 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

मिलें मुबलिग बाबत

और इस मुकदमे के मय सूद वगैरह फीसदी ... ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसात मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15-1-20 माह सन् को

जारी की गई।

दस्तखत [signature] 15/1/2020

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प ... सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner